हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/10/24 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को अपनी खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं0 348/6 की रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम बृजेशपुरा पटवार हल्का दसलाना भू0अ0निरीक्षक सोगरिया तहसील लाड़पुरा जिला कोटा में पहुंचने के लिए और अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 कोटा बांरा फोर लेन आम रास्ते को प्रतिपक्षी की कृषि आराजी खसरा नं0 348/1 वाके ग्राम बृजेशपुरा पटवार हल्का दसलाना भू0अ0निरीक्षक सोगरिया तहसील लाड़पुरा जिला कोटा में से 15 फुट चौड़ाई का रास्ता उपलब्ध करवाये जाने एवं उक्त रास्ते को लम्बई चौड़ाई अनुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में अंकित किये जाने हेतु चाहा गया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र संबंध में अप्रार्थीगण/तहसीलदार लाडपुरा से जवाब/मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि की किस्म गै0मु0आंबादी होने से रास्ते हेतु धारा 251–ए के तहत बनना नही पाया जाता। पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न राजस्व जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा जिस भूमि के लिए धारा 251–ए का रास्ता चाह गया है। उस भूमि की किस्म गै0मु0आबादी है। जिस के लिए धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता नही दिया जा सकता। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251–ए के तहत बनना नही पाया जाता। जिस कारण प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।	